भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: एक अध्ययन

Dr. Harshvir
Deptt. of Political Science
H.No 45, Sector – 1, Rohtak (HR)

शोध आलेख सार: वस्तुतः आधुनिक युग लोककल्याणकारी सरकारों के युग के रूप में जाना जाता है तथा सभी लोकतन्त्रीय परम्पराओं वाले देशों में लोक कल्याण की नीतियों व योजनाओं को लागू करने का उत्तरदायित्व नौकरशाही या प्रशासन के कन्धों पर डाला जाता है। इसके साथ–साथ राजनीतिक समाज के लोगों द्वारा यह आशा की जाती है कि प्रशासन तन्त्र में मितव्यता तथा कार्यकुशलता के साथ–साथ संवैधानिक दायित्वों को ईमानदारी से निर्वहन करने का गुण पैदा हो। इसके लिए प्रशासन को लोकोन्मुखी बनाने का सुझाव दिया जाता है। ऐसा होने पर जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हो जाती है तथा प्रशासन अपना कार्य लोकहित की दृष्टि से पूरा करता है। जब जनता अपने प्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के पास यह जानने के लिए जाती है कि उन्होंने उनके हितार्थ क्या किया है, तो प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना का संचार होता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। यही उम्मीद जन कल्याण हेतु अपरिहार्य मानी जाती है और इसी पर लोक कल्याण का उद्देश्य निर्भर है। प्रस्तुत शोध पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्ययन किया गया है।

मूलशब्दः सूचना का अधिकार, जनकल्याण, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रशासनिक जवाबदेही व उत्तरदायित्व।

भूमिकाः आज विश्व के सभी देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों व परम्पराओं की सुरक्षा का मुद्दा शोधकर्त्ताओं के लिए आकर्षण का केन्द्र बिन्दु बन चुका है। आज जनता अपने शासकों से जनवायदों पर खरा उतरने की उम्मीद करती है और प्रशासन से पारदर्शिता चाहती है ताकि लोककल्याण की दृष्टि से जनहितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी सन्दर्भ में आज सूचना का अधिकार का एक रामबाण औषधि के रूप में उभर कर आया है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार हर भारतीय का मौलिक अधिकार है और प्रत्येक लोकतन्त्रीय शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान अभियक्ति का अधिकार मिलना उनका मानव अधिकार है। भारत में समानता के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 एक ऐसी व्यवस्था कायम करता है कि लोकोन्मुखी प्रशासन अभिव्यक्त होने लगता है और प्रशासन तन्त्र में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की भावना

पैदा हो जाती है। वास्तव में इस अधिनियम के लागू होने से देश में ऐसे घोटाले उजागर हुए हैं, जो इसके अभाव में जनता के सम्मुख कभी नहीं आ सकते थे। परन्तु यह एक विडम्बना ही है कि आज भी भारतीय जनतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके उपयोग से अनजान है, जो इसके सफल संचालन में बाधक बन कर खड़ा है और इस अधिकार की प्रभावशीलता में कमी आई है। अतः इस बात की महती आवश्यकता है कि सूचना उपलब्ध करवाने में प्रशासनिक लापरवाही पर अंकुश लगे और जनविश्वास में वृद्धि हो ताकि लोकतंत्रीय मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

विश्व परिवेश में सूचना के अधिकार का उद्भव एवं विकासः यह बात सर्वविदित है कि विश्व में अधिकांश लोकतंत्रीय परम्परा वाले देशों में सूचना के अधिकार की उत्पति एवं इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानवाधिकार पुराने हैं तथा स्वतन्त्रता के अधिकार की तरह यह अधिकार भी एक प्राकृतिक अधिकार है। सर्वप्रथम वर्ष 1766 में स्वीडन में '**Freedom of Press Act**' पास हुआ, जिसमें लोक दस्तावेजों तक जनता को पहुँच का अधिकार दिया गया। इसके बाद वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रान्ति में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को विशेष महत्व दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की घोषणा के अन्तर्गत इस अधिकार को महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका में 1966 में '**सूचना की स्वतन्त्रता का अधिनियम**' लागू हुआ। आस्ट्रेलिया में '**Freedom of Information Act- 1982**' लागू हुआ, जिससे आम नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ।

यदि भारत के सन्दर्भ में सूचना के अधिकार की बात की जाये तो स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता इस बात के प्रति संवेदनशील थे कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को विचार व अभिव्यक्ति की आजादी मिले। इसी कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत स्वतन्त्रता के अधिकार के रूप में सूचना प्राप्त करने तथा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। इससे लोकोन्मुखी प्रशासन का मार्ग प्रशस्त हुआ है और आज समस्त देश में नागरिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग प्रबल हुई है तथा इसे कानून का रूप देकर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के रूप में लागू कर दिया गया है।

भारत में लोकतांत्रिक परम्पराओं व मूल्यों के विकास का प्रभाव समस्त संसदीय व्यवस्था पर दृष्टिगोचर होता है। समय–समय पर नीति निर्माताओं ने तथा संविधान विशेषज्ञों ने जन इच्छाओं के अनुरूप संसदीय कानूनों में समयानुसार बदलाव की वकालत की है। इसी सन्दर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अमल में आया है। अधिकांश बुद्धिजीवियों का मानना है कि ' सूचना का अधिकार–2005' 21वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। इसने सिटिजन चार्टर की उपयोगिता सिद्ध कर दी है।

भारत में सूचना के अधिकार को कानूनी रूप देने के लिए 23 दिसम्बर 2004 को संसद में एक विधेयक पेश किया गया। इसे लोकसभा ने 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा ने 12 मई 2005 को पारित कर दिया। काफी विचार–विमर्श के बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। इसके कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए और शेष प्रावधान 13 अक्तूबर 2005 से अमल में आए। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक लोकसेवक या नौकरशाह के कार्यों में पारदर्शिता लाना तथा उसमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। इसके लागू होने के बाद हर आम नागरिक को किसी भी प्रकार की जानकारी प्रशासन से प्राप्त करने का अधिकार इससे प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यह अधिनियम लागू है और इसकी प्रभावकारिता भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य और संघीय प्रदेश तक विस्तारित है।

यदि इस कानून का सैद्धान्तिक विवेचन किया जाये तो यह बात स्पष्ट होती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 सभी प्रशासनिक अधिकारियों को उनके संवैधानिक दायित्वों के दायरे में रहने को बाध्य करता है। यदि जनता यह महसूस करती है कि किसी लोकसेवक ने अपने कर्त्तव्य पालन में लापरवाही की है, तो वह सूचना प्राप्त करने के अधिकार के तहत सच्चाई को परख सकता है। इस अधिकार के तहत किसी भी लोकसेवक के कार्यों, दस्तावेजों तथा मूल रिकार्ड का निरीक्षण, इनसे संबंधित प्रतिलिपि, छायाप्रति अथवा सी.डी. या मेल आदि प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। यद्यपि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति निम्न संस्थाओं से जानकारी प्राप्त कर सकता है:

- जिसका गठन संसद या राज्य विधानमंडल ने किया हो।
- जिसे केन्द्र या राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके स्थापित किया हो।
- देश के समस्त न्यायालयों तथा आयोगों को भी इसके दायरे में लाया गया है।
- जिस पर केन्द्र या राज्य सरकार का नियंत्रण हो।
- जिसे किसी प्रकार का सरकारी अनुदान प्राप्त हो।

वास्तव में सूचना प्राप्त करने के लिए एक साधारण सी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक आवेदन पत्र देना होता है, जिसके साथ निर्धारित फीस की रसीद संलग्न करनी पड़ती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हरियाणा में फीस से छूट दी गई है। वर्ष 2012 से फीस के भुगतान के लिए इलैक्ट्रानिक सुविधा दी गई है। नियमानुसार आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर सूचना देना आवश्यक है। यदि इस अवधि में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो संबंधित विभाग के प्रथम अपील अधिकारी के

पास अपील की जा सकती है। यदि 30 दिन में यहाँ भी सूचना न मिले तो पुनः दूसरी अपील की जा सकती है। इसके लिए तीन महीने या 90 दिन का समय लगता है। निर्धारित अवधि में सूचना न मिलने पर संबंधित सूचना अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग द्वारा 25,000/– रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गलत या अधूरी जानकारी देने वाले पर भी यही व्यवस्था लागू होती है। सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि :

- वह सरकार से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- वह सरकार के किसी भी कार्य का निरीक्षण कर सकता है।
- वह सरकारी निमार्ण कार्य की सामग्री के नमूने ले सकता है।
- वह सरकारी दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है।

इस क्रम में हरियाणा में भी यह कानून लागू किया गया है तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना – 2005 के अंतर्गत इसे अमल में लाया गया है। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसका गठन करना पड़ता है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकतानुसार 10 या अधिक सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति में मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिष्ट मंत्रीमंडल का सदस्य शामिल होता है। कोई भी राज्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। उसकी पद स्थिति निर्वाचन आयुक्त या राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष होती है। उसको राज्यपाल द्वारा पद का दुरूपयोग या कदाचार के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। इस तरह उसके पद की सुरक्षा भी की गई है ताकि वह निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

सूचना के अधिकार की मुख्य समस्याएं : आज भारत के विभिन्न राज्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हो चुका है परन्तु इसके क्रियान्वयन को लेकर अध्ययन किया जाए तो इस दिशा में कुछ अवरोध अवश्य हैं:

- प्रशासनिक लापरवाही व उदासीनता तथा सूचना देने में आनाकानी करना।
- गलत या अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाना तथा भ्रामकता पैदा करना।
- प्रशासन तंत्र द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने में देरी करना या टाल मटोल का रवैया।
- विभागों में आधारभूत सुविधाऐं, जैसे कम्पयूटर, स्केनिंग मशीन, फोटो कॉपियर आदि का अभाव।

- अधिकांश लोगों को सूचना प्राप्ति की विधि का ज्ञान न होना।
- सूचना के अधिकार को लेकर जनजागृति का अभाव तथा अधिकांश लोगों द्वारा इसका प्रयोग न करना।
- गैर–सरकारी संगठनों की उदासीन भूमिका।
- प्राप्त सूचनाओं का गलत प्रयोग तथा प्रशासनिक लापरवाही।

सारांश व सुझाव : अंततः भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने से प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी आई है और प्रशासनिक संस्कृति लोकोन्मुख हुई है। इस अधिकार के कारण देश में अनेकों घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। इससे देश में कभी न उजागर होने वाले घोटाले व भ्रष्टाचार के मामले आज जनता के सामने स्पष्ट हो चुके हैं इसी कारणयह अधिकार जनता के हाथ में एक ऐसा हथियार है, जिसका प्रयोग प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा सकता है। परन्तु फिर भी इसकी कुछ कमियां उजागर हुई हैं, जिनका निराकरण करने के लिए कुछ सुझाव अपेक्षित हैं:

- इस दिशा में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है।
- सभी विभागों में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध हों ताकि सूचना देने में कोई देरी न हो।
- इस अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार व प्रसार किया जाए।
- सूचना प्राप्त करने की विधि समाचार पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हो ताकि आम व्यक्ति की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो।
- सूचना के अधिकार के बारे में जन जागृति पैदा की जाए।
- गलत या अधूरी सूचना देने वाले विभाग या अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि इस अधिकार की उपयोगिता में अधिक से अधिक वृद्धि हो तथा जनता की भावनाओं के साथ कोई भी सरकार खिलवाड़ न कर सके।

सन्दर्भ सूची:

- नीरज कुमार, **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005**, भारत लॉ हाऊस, नई दिल्ली, 2010.
- जनकसिंह मीणा, **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005**, राजा पॉकेट बुक्स, दिल्ली, 2010.
- श्रीराम मुण्डे, **सूचना अधिकार,** वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010.
- सुधीर नायब, **The Right to Information Act- 2005**, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, नई दिल्ली, 2011.
- विष्णु राजगढ़िया, **सूचना का अधिकार,** राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014.
- https://en.wikipedia.org/wiki/**Right_to_Information_Act**,_2005.